

10 किमी० की परिधि में हाथी कोरीडोर/अभ्यारण्य/सेंचुरी न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस०एच०-८०) किमी० ०५ दांयीं पटरी खसरा सं० ३०, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित ०.०७५९५ है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वनभूमि, किसी भी हाथी कोरीडोर/अभ्यारण्य/सेंचुरी की १० किमी० की परिधि के बाहर आती है।

(टी०एन० सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
४३७
दिनांक: २५/०५/२०२०
बलाबद